

कालावधि पूरी न करने पर भी तरक्की के रास्ते पटना, जागरण ब्यूरो : हर स्तर के कर्मियों के लिए खास अवधि तक खास वेतनमान में काम करने के बाद तरक्की का प्रावधान था। छठे वेतन के आलोक में केन्द्रीय पैटर्न पर राज्य सरकार ने कालावधि को वेतनमान के बदले ग्रेड पे से जोड़ दिया है। मगर निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरी नहीं करने वालों के लिए भी प्रोन्नति के रास्ते हैं। खास ग्रेड पे में लंबे समय तक काम करने के बावजूद प्रोन्नति नहीं होने पर कालावधि का मामला फंसता है। इसी को दूर करने के लिए गुंजाइश रखी गयी है। वैसे एसीपी और राजकीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए यह कालावधि लागू नहीं होगी। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ताजा संकल्प में कहा गया है कि निर्धारित न्यूनतम कालावधि पूरा नहीं हो सकने के कारण जहां प्रोन्नति देना संभव नहीं हो पाता हो वहां धारित पद एवं उससे एक स्तर नीचे के पद के लिए निर्धारित कालावधि को जोड़कर कुल कालावधि पूरी होती हो तो प्रोन्नति दी जा सकती है। उदाहरण देकर समझाया गया है कि 6600 से 7600 के ग्रेड में प्रोन्नति के लिए कालावधि 5 साल निर्धारित है और 7600 से 8700 के ग्रेड पे में प्रोन्नति के लिए भी 5 साल की कालावधि निर्धारित है। यदि 7600 के ग्रेड पे से 8700 के ग्रेड पे में प्रोन्नति विचारणीय हो तो 7600 के ग्रेड पे में न्यूनतम एक साल का अनुभव प्राप्त रहने की स्थिति में निम्न कोटि के ग्रेड पे वाले पद की कार्यावधि और धारित पद के ग्रेड पे यानी 7600 के ग्रेड पे की कार्यावधि को जोड़कर 10 साल की कालावधि पूरी होने पर तरक्की दी जा सकेगी। भारत सरकार ने विशेष परिस्थिति में निर्धारित कालावधि में भी छूट का प्रावधान कर रखा है।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
 इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
 कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
 कॉपीराइट / IP नीति